



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 426 राँची, मंगलवार, 30 अगस्त, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त, 2022

संख्या-3/प्रोन्नति-02-02/2020 का. 4873--संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, राँची के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-06/एस.-06 (प्रो०)-03/2009- 2981 दिनांक 01.09.09 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 02.11.2021 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समितिकी अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से लगातार 30 वर्षों की नियमित सेवा एवं अर्हता पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप स्तंभ 4 में उल्लेखित तिथि/वेतनमान एवं ग्रेड पे में तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक	योगदान की तिथि	वेतनमान पी० बी०-III रु० 37400- 67000/- ग्रेड पे रु० 8700/- में तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4
1	श्री सत्येन्द्र तिवारी 316/03 (सेवानिवृत्त)	23.11.1981	23.11.2011
2	श्री गोपीनन्दन प्रसाद 389/03 (सेवानिवृत्त)	27.08.1984	01.07.2017
3	श्री राम शंकर राय 390/03 (सेवानिवृत्त)	27.08.1984	27.08.2014
4	श्रीमती उषा किरण बाखला, 502/03 (सेवानिवृत्त)	19.09.1988	19.09.2018

2. यह वित्तीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक है और निम्नांकित शर्तों के अधीन देय है:-

- I- यह योजना दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी है ।
- II- यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा ।
- III- उक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति में यदि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।
